समाचार विज्ञप्ति

स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त कर रहे अल्बर्टावासियों के लिए अधिक मजबूत सुरक्षा

नवंबर 4, 2026

पारित हो जाने पर प्रस्तावित कानून, x स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त कर रहे अल्बर्टावासियों की सुरक्षा को मजबूत करेगा, जवाबदेही में सुधार करेगा और करुणामूलक हस्तक्षेप में सहायक होगा।

बिल 39, *स्वास्थ्य विधि संशोधन अधिनियम, 2026 (संख्या 2)*, सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित देखभाल व्यवस्थाओं में सुरक्षा और जवाबदेही को मजबूत करके स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त कर रहे अल्बर्टावासियों की सुरक्षा, गरिमा और कल्याण को सर्वोपरि रखेगा। प्रस्तावित संशोधन सार्वजनिक रूप से बीमित प्रयोगशाला सेवाओं तक पहुँच की भी रक्षा करेंगे, स्वास्थ्य कानूनों का आधुनिकीकरण करेंगे और अल्बर्टा की संपूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली में स्थिरता और पारदर्शिता में सहायक होंगे।

"जब अल्बर्टावासी सबसे अधिक असुरक्षित स्थिति में होते हैं, तब उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक देखभाल पर भरोसा करने में सक्षम होना चाहिए। ये प्रस्तावित बदलाव सुरक्षा को मजबूत करेंगे, जवाबदेही को सुदृढ़ करेंगे और परिवारों को अधिक विश्वास दिलाएँगे कि उनके प्रियजन सुरक्षित हैं।"
जस्टिन राइट, प्राथमिक और निवारक स्वास्थ्य सेवा मंत्री

स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त कर रहे अल्बर्टावासियों के लिए सुरक्षा को मजबूत करना

स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त कर रहे व्यक्तियों के संरक्षण संबंधी अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन यह स्पष्ट करेंगे कि कौन से सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित देखभाल और स्वास्थ्य सहायता प्रदाता इस अधिनियम के दायरे में आते हैं, और दुर्व्यवहार की रिपोर्टों की जाँच, अपीलो, अनुपालन और प्रवर्तन की प्रक्रियाओं में सुधार करेंगे। ये बदलाव यह सुनिश्चित करने में मदद करेंगे कि दुर्व्यवहार संबंधी चिंताओं की उचित रूप से जाँच की जाए और उनका समाधान किया जाए, जिससे अल्बर्टावासियों और उनके परिवारों का विश्वास सुदृढ़ होगा कि देखभाल प्राप्त कर रहे लोगों के साथ गरिमा और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाता है। मौजूदा सुरक्षा उपाय और अपील के अधिकार यथावत बने रहेंगे।

संवेदनशील अल्बर्टावासियों के लिए देखभाल में सुधार

करुणामूलक हस्तक्षेप अल्बर्टा में विकसित एक दृष्टिकोण है, जिसका उद्देश्य व्यसन के सबसे गंभीर स्वरूपों से जूझ रहे लोगों को उनकी आवश्यक देखभाल प्राप्त करने में मदद करना है। *करुणामूलक हस्तक्षेप अधिनियम* के तहत परिवार के सदस्य, अभिभावक, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर, पुलिस या शांति अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति के लिए, जिसका व्यसन

उसे स्वयं या दूसरों के लिए खतरा बना चुका है, अंतिम उपाय के रूप में मूल्यांकन आदेश का अनुरोध कर सकते हैं। अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन आवेदन और सुनवाई की प्रक्रियाओं को मजबूत करेंगे, सूचना तक समय पर पहुँच का समर्थन करेंगे, अधिक नैदानिक लचीलापन प्रदान करेंगे और निगरानी को स्पष्ट करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करेंगे कि मौजूदा सुरक्षा उपाय यथावत रहें। ये बदलाव यह सुनिश्चित करने में मदद करेंगे कि वसंत 2027 में लागू होने के बाद करुणामूलक हस्तक्षेप को सुरक्षित, प्रभावी और सुसंगत रूप से प्रदान किया जा सके।

मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन अनुमोदित अस्पतालों के भीतर स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों के बीच समन्वय को मजबूत करेंगे, जिससे रोगियों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों को बनाए रखते हुए यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि उन्हें आवश्यक देखभाल प्राप्त हो।

"हम गंभीर व्यसन या मादक पदार्थों के सेवन से जूझ रहे अल्बर्टावासियों की देखभाल को मजबूत कर रहे हैं। ये बदलाव करुणामूलक हस्तक्षेप को लागू करने के हमारे वादे को पूरा करने में हमारी मदद करते हैं, ताकि गंभीर व्यसन से ग्रस्त अल्बर्टावासियों को सुरक्षित, समन्वित और सुसंगत उपचार मिल सके जो उन्हें पुनर्वास की ओर बढ़ने में मदद करे।"
रिक विल्सन, मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मंत्री

प्रयोगशाला सेवाओं के लिए सार्वजनिक वित्तपोषण को स्पष्ट करना

अल्बर्टा सरकार ऐसी मजबूत, सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है, जो रोगियों को प्राथमिकता देती है, अधिक विकल्प प्रदान करती है और यह सुनिश्चित करती है कि चिकित्सकीय रूप से आवश्यक प्रयोगशाला सेवाएँ सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित बनी रहें। *अल्बर्टा स्वास्थ्य देखभाल बीमा अधिनियम* (AHCIA) में प्रस्तावित संशोधन बीमित देखभाल और चिकित्सक द्वारा रेफर की गई देखभाल के लिए सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित, समुदाय-आधारित प्रयोगशाला सेवाओं तक निःशुल्क पहुँच बनाए रखेंगे, साथ ही यह सुनिश्चित करेंगे कि निजी क्लीनिक गैर-बीमित सेवाओं से जुड़ी प्रयोगशाला लागतों का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार हों।

स्व-बीमा योजनाओं के लिए आवश्यकताएँ निर्धारित करना

AHCIA में अतिरिक्त संशोधन सरकार को उन लोगों की स्व-बीमा व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए आवश्यक नियामक साधन प्रदान करेंगे, जो सार्वजनिक प्रणाली के बाहर ऐच्छिक देखभाल प्राप्त करने का विकल्प चुनते हैं। इसमें भाग लेने वाले चिकित्सकों और बीमाकर्ताओं के लिए रिकॉर्ड रखने और रिपोर्टिंग की आवश्यकताएँ निर्धारित करना शामिल है। अल्बर्टावासियों को सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित स्वास्थ्य देखभाल तक पहले जैसी ही पहुँच मिलती रहेगी, और किसी भी अल्बर्टावासी के लिए स्व-बीमा रखना अनिवार्य नहीं होगा।

"ये बदलाव उन अल्बर्टावासियों के लिए स्पष्ट नियम और मजबूत सुरक्षा उपाय स्थापित करते हैं जो स्व-बीमा व्यवस्थाओं के माध्यम से ऐच्छिक देखभाल का भुगतान करने का विकल्प चुनते हैं। ये हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की रक्षा के लिए निगरानी को मजबूत करने के साथ- साथ यह सुनिश्चित करते हैं कि सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित देखभाल तक अल्बर्टावासियों की पहुँच में कोई बदलाव न हो।"
एड्रियाना ला ग्रांज, अस्पताल और शल्य स्वास्थ्य सेवा मंत्री

अतिरिक्त प्रस्तावित संशोधन *सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम* को अद्यतन करेंगे और पुराने संशोधनों को निरस्त करेंगे, ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य निरीक्षकों को अल्बर्टा हेल्थ सर्विसेज़ से प्राइमरी केयर अल्बर्टा में स्थानांतरित करने में सहायता मिल सके।

संबंधित जानकारी

- अल्बर्टावासियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच का विस्तार
- विश्व-स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का समर्थन

मीडिया पूछताछ

जे लैंग
jaye.lang@gov.ab.ca
780 427 3665
प्रेस सचिव, प्राथमिक और निवारक स्वास्थ्य सेवा